न्यायालय वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ, हल्द्वानी।

उपस्थितः मलिक मजहर सुलतान, एच0जे0एस0,.....अध्यक्ष।
राकेश वर्मा, ...सदस्य।

द्वितीय अपील संख्याः 37/2025(वर्ष 2016–17).....धारा–10(A) के अन्तर्गत

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।
बनाम
सर्वश्री अभिलाषा इण्टरप्राइजेज, कर्नाटक खोला, अल्मोड़ा ।

विभाग की ओर से : श्रीमती हेमलता शुक्ला,डि0कमि0 एवं राज्य प्रतिनिधि वा0कर।
व्यापारी की ओर से :.श्री गुरमेज सिंह,.....फर्मअधिवक्ता।

–::निर्णय::–

राकेशवर्मा, सदस्य

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, आयुक्त राज्य करउत्तराखण्ड (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी (जिसे आगे 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या –448/2022 वर्ष 2016–17 आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10(A)सपठित प्रतिप्रेषित वाद में पारित किये गये निर्णय दिनांक 02–01–2025 के विरूद्ध इस अधिकरण में दिनांक 06–05–2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से आरोपित अर्थदण्ड में रू0 30,82,601/– की कमी की गयी है।प्रस्तुत द्वितीय अपील में विवादित अर्थदण्ड की धनराशि रू0 30,82,601/–निहित है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सर्वश्री अभिलाषा इण्टरप्राइजेज, कर्नाटक खोला, अल्मोड़ा (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा) द्वारा संविदाकार के रूप में कार्य किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2016–17 में व्यापारी अपीलकर्ता द्वारा संगत वर्ष में रियायती दर पर फार्म–सी के सापेक्ष रू0 3,27,80,913.00 की आयतित खरीद की गई है, जबकि व्यापारी द्वारा केन्द्रीय पंजीयन नहीं लिया गया था। उक्त के बावजूद संविदाकार द्वारा प्रपत्र–सी रियायती दर पर रू0 28560726.00 की ग्रेनाइट स्लैब, टिम्बर, एम0एस0 पाईप, पाईप एण्ड फिटिंग, पी0वी0सी0 पाईप/बैण्ड, सी0आई0 पाईप एण्ड फिटिंग, बाईडिंगवायर, नोजल एवंसेफ्टी मैटीरियल आदि एवं फिक्स एसेट्स रू0 4220187.00 के कन्क्रीट पम्प, मोबाइल बैचिंग प्लान्ट की आयातित खरीद की गई है। जिस पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10(A) के अन्तर्गत देय कर का 1.5 गुना रू0 4623901.00 अर्थदण्ड आदेश दिनांक 08–03–2022 द्वारा आरोपित किया गया।

ह0/–
(राकेश वर्मा)

ह0/25.02.26
(मलिक मजहर सुलतान)

3. उक्त अर्थदण्ड आदेश दिनांक 08–03–2022 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02–01–2025 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी है। प्रथम अपीलीय प्रधिकारी द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्नप्रकार है–

"मेरे द्वारा अपीलकर्ता द्वारा अपील मैमों में उठाए गए बिन्दुओ, सुनवाई के समय दिए गये तर्को एवं तथ्यों पर विचार किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश के पैरा संख्या–04 में यह उल्लेख करते हुए कि ब्यौहारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है, यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है कि क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा धारा– 7(1)/7(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय पंजीयन प्राप्त करने से सम्बन्धित Application For Reaistration u/s 7(1)/7(2) Of The Central Sales Tax Act, 1956 Form 'A' विभागीय पोर्टल से डाउनलोड कर उसकी प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार अपीलकर्ता दिनांक 01–09–2015 से केन्द्रीय पंजीयन धारक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 21–07–2020 को पारित किये गये मूल अर्थदण्ड आदेश धारा10(A) से पूर्व ही दिनांक 01–09–2015 से अपीलकर्ता केन्द्रीय पंजीयन धारक है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी का यह तर्क उचित नहीं है कि अपीलकर्ता केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र धारक नहीं। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता व्यापारी दिनांक 01–09–2015 से केन्द्रीय पंजीयन धारक है, जिसके कारण वह फार्म–सी जारी करने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा10(A) सपठित प्रतिप्रेषित वाद के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 08–03–2022 का समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा उनके द्वारा देयकर रू0 3082601.00 के डेढ गुना आरोपित किये गये अर्थदण्ड रू0. 4623901.00 का समर्थन नहीं किया जा सकता है, परन्तु राजस्व हित में आरोपित अर्थदण्ड रू0 4623901.00 का एक तिहाई अर्थात् रू0 1541300.00 अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। अपीलकर्ता को निर्देश दिये जाते है कि आरोपित अर्थदण्ड रू0 15451300.00 नियमानुसार राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें।"

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है:– कि विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–01–2025 विधिक एवं न्यायोचित नहीं है। केन्द्रीय पंजीयन नहीं होने के बावजूद संविदाकार द्वारा प्रपत्र–सी रियायती दर पर रू0 28560726.00 की आयातित खरीद की गई है। जिसके लिए वह पंजीकृत नहीं है । अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया अर्थदण्ड न्यायोचित है। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से यह निर्धारित किया है कि व्यापारी को केन्द्रीय पंजीयन प्राप्त है।

5. सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से श्रीमती हेमलता शुक्ला, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधार में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अनुचित

बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री गुरमेज सिंह, उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्रश्नगत वाद के संदर्भ में केवल यह विचारणीय है कि क्या संगत वर्ष में व्यौहारी प्रान्त बाहर से रियायती दर पर की गयी आयातित खरीद के सम्बन्ध मेंप्रपत्र–सी जारी किये जाने हेतु अधिकृत थे अथवा नहीं ?**

7. प्रथम अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर कि **"अपीलकर्ता द्वारा धारा–7(1)/7(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय पंजीयन प्राप्त करने से सम्बन्धित Application For Registration U/S 7(1)/7(2) of The Central Sales Tax Act, 1956 Form 'A' विभागीय पोर्टल से डाउनलोड कर उसकी प्रति प्रस्तुत की गयी है"** के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अपीलकर्ता दिनांक 01.09.2015 से केन्द्रीय पंजीयन धारक है, तुदपरांत दाखिल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। उक्त प्रथम अपीलीय आदेश के अवलोकन पर निम्न विसंगतियां प्रकाश में आती है:–

- प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यापारी/विपक्षी केन्द्रीय पंजीयन धारक है, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे ? और यदि वे पंजीकृत थे तो क्या वस्तुविशेष के सम्बन्ध में फार्म–सी जारी किये जाने हेतु अधिकृत थे ? का कोई उल्लेख अपीलीय आदेश में नहीं है। इसके अतिरिक्त किस तथ्य एवं तर्क के आधार पर व्यौहारी पर रू. 15,41,300.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
- व्यापारी/विपक्षी द्वारा धारा–7(1)/7(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय पंजीयन प्राप्त करने से सम्बन्धित Application For Registration U/S 7(1)/7(2) of The Central Sales Tax Act, 1956 Form 'A' की जांच विभागीय पोर्टल से करने अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी से जांच कराये जाने सम्बन्धी कोई तथ्य उल्लिखित नहीं किया गया है।
- व्यौहारी का यह कहना है कि उनके द्वारा केन्द्रीय पंजीयन प्राप्ति हेतु सम्बन्धित करनिर्धारण कार्यालय में आवेदन किया गया था, इस तथ्य की जांच अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धि करनिर्धारण कार्यालय से करने/आख्या मांग ने सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में नहीं आते हैं।
- अद्यतन स्थिति के अनुसार विभागीय पोर्टल पर अतिथि तक व्यौहारी केन्द्रीय पंजीयन के अधीन पंजीकृत नहीं है, तब किस प्रकार व्यौहारी द्वारा आयातित खरीद हेतु प्रपत्र–सी जारी किये गये हैं ?
- अपीलीय अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश में यह उल्लिखित किया है कि विपक्षी द्वारा वर्ष 2016 में रजिस्ट्रेशन हेतु Online आवेदन किया था, व्यापारी/विपक्षी पर धारा 10 A की कार्यवाही वर्ष 2020 में की गई। इस अवधि में विपक्षी विधिवत् रूप से

पंजीकृत नहीं हो पाया तो इसमें विभाग की त्रुटि हे या विपक्षी की इस बिन्दु पर भी आलोच्य आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया ।

- बिना केन्द्रीय पंजीकरण के व्यापारी को फार्म सी कैसे जारी किये गये इस बिन्दु पर भी विहित विश्लेषण की आवश्यकता है। अर्थात् क्या बिना केन्द्रीय पंजीकरण के फार्म सी जारी हो सकते है ?

उक्त बिन्दुओं का संज्ञान और विवेचना प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने पारित निर्णय में नहीं की गयी है, जिस कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचित एवं विश्लेषित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी विभाग द्वारा दाखिल यह द्वितीय अपील से स्वीकार किये जाने योग्य है एवं वाद को पूर्व प्रस्तरों में उल्लिखित बिन्दुओं/तथ्यों की पुनः जांच करते हुए सकारण आदेश (Speaking Order) पारित किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अपीलार्थी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील संख्या–37/2025 (वर्ष 2016–17) अन्तर्गत धारा 10(A) स्वीकार की जाती है। प्रथम अपील संख्या 448/2022 में पारित आदेश दिनांक 02–01–2025 को अपास्त किया जाता है। वाद पुनः सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी 01 माह के अन्दर अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/–

(राकेश वर्मा)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

ह0/25.02.26

(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांकः–25.02.26